

9.5.2016

पञ्जाबी राजस्व लेव्य इकायत न्याय आयोग  
 द्वारा 2016 के तहत मुकाम इरमिया  
 पत्तुह हुई। पञ्जी मांगुदास उपस्थित  
 जिसने लेव्य इकायत की भावना से  
 उदात्त में राजीनामे से निस्तारवा  
 करने का प्रप प्रप प्रप प्रप प्रप  
 जिसे शामिल पञ्जाबी किता।  
 प्र.प्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार  
 है कि ग्राम पतरसिंह जी का लेडा  
 प. 80 इरमिया के बैकन हल्का जवाही  
 में गुमान सिंह उर्फ सुरसिंह 2/0 गुमान  
 सिंह राजपूत के लोहवारी अधिका  
 प्रक कब्र की ताबिक जवाही सांघा  
 29 खब्बा 2-14 व अ.नं 31 खब्बा  
 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किल 2 खब्बा  
 6-05 द. बीघा पांच बिस्वा भूमि  
 अन्य आराजिगत के साथ स्थित थी  
 उक्त किल 2 खब्बा 6 बीघा 5 बिस्वा  
 भूमि को पञ्जी मांगुदास 2/0 विशानदास  
 बैरागी स. गुडल्या सह राशमी द्वारा  
 गुमान सिंह उर्फ सुरसिंह राजपूत से  
 जिसने रजिस्टर्ड विक्रय प्रप से कुल  
 प्रक कब्रगत प्राप्त किया। उक्त  
 आराजिगत का जामानत काल सांघा  
 80 ग्राम पंचायत इरमिया द्वारा पञ्जी  
 के नाम फैसल किया। जिसका इकाय  
 प्रयास जवाबनी से 2033 से 2036 में  
 किया गया। पञ्जारी हल्का द्वारा  
 जवाबनी रोहशन से 2036 से 2039 में  
 लिखते समय पञ्जी का नाम मांगुदास  
 2/0 विशानदास बैरागी नि. गुडल्या सह  
 राशमी होते हुए भी जवाबनी से  
 2036 से 2039 में मांगुदास 2/0  
 विशानदास बैरागी नि. डेवीपुरा गलत



ग्राम चतसिंह जी का जेडा  
 में प्रार्थी मांगुदास १/० बिशनदास  
 बैरागी की सबूत डेवीपुरा जमिंदार  
 का विना गचा  
 ग्राम चतसिंह जी का जेडा के  
 साबिक इका में २९ व ३१ व ३२  
 आकासी में ५६ से ५० व ५२, ५३  
 व ५४ जो बरीदान में जमाबंदी में  
 २०६९ से २०७२ में जाला में ५४ में  
 मांगुदास १/० बिशनदास बैरागी सा  
 डेवीपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है।  
 राजाब रेकार्ड, घेरोवार सिकार के  
 जवाब व ग्राम पंचायत रेकार्ड में  
 रक्षणी डायर जारी हुआ पर जो  
 आधार पर प्रार्थी मांगुदास १/०  
 बिशनदास बैरागी की सही  
 सबूत सुडल्या सह रक्षणी जिला  
 चित्तौडगढ़ होना सिद्ध होता है  
 अतः

आदेश

प्रार्थी का प्रा० पर अन्वेषित धारा  
 १३६ ए. ए. ए. का स्वीकार किया  
 जाता है तथा आदेश विना जारी  
 है कि ग्राम चतसिंह का जेडा  
 की जमाबंदी २०६९ से २०७२ के  
 जाला में ५४ में जाला मांगुदास  
 १/० बिशनदास बैरागी साबिक  
 डेवीपुरा के बजाय सुडल्या  
 तहसील रक्षणी जिला चित्तौडगढ़  
 दर्ज किया जावे। तहसीलदार सहाय  
 लखनपुर राजाब रेकार्ड में  
 उक्त ~~का~~ करें। जमाबंदी बाद जाला  
 रजिस्ट्रार के पास हुआ होकर  
 जबर से का हो।

सहायक कलक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 गंगपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

सुदामा  
 के लेख  
 १०-११-१९  
 सुदामा  
 २  
 २१६  
 सीडर